भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *204

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल के कनेक्शन

***204. श्री मनोज कुमारः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति करने के लिए आरंभ किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में उन क्षतिग्रस्त और खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने का विचार है जो उक्त जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कैमूर पहाड़ियों को 24 घंटे जलापूर्ति के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस मिशन से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल के कनेक्शन के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू किया जाना है। जेजेएम के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 10.03.2025 तक, लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, देश के 19.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.51 करोड़ (79.91%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जल राज्य का विषय है, अतः राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं अनुरक्षण का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* ऐसी सड़कों की मरम्मत अथवा निर्माण करना भी शामिल है जो जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त होती हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इनकी मरम्मत के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण जल योजनाओं को इस प्रकार से शुरू करें जिससे सड़कों/राजमार्गों जैसी अवसंरचना को कम से कम क्षति हो और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय क्षति होने पर सड़कों/राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए।

इसके अलावा, बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, जहां पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है वहां सड़क की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, वहां पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।

(ग): बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कैमूर हिल्स में औधुरा ब्लॉक की 6 पंचायतों अर्थात सदाकी, सरोदाग, अथान, अधौरा, बडवांकला और डुमरावन में सतही जल पर आधारित एक बहु-ग्राम योजना प्रस्तावित की गई है ताकि 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की सेवा प्रदान की जा सके।

(घ): देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तीव्रता लाने के लिए, जेजेएम के जमीनी कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभाग से बहु-विषयक टीमों का दौरा करना शामिल है ताकि उन क्षेत्रों को प्रकटित किया जा सके जिन पर कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सभी परिवारों हेतु समयबद्ध तरीके से नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 के दौरान जेजेएम को वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। इस विस्तारित अवधि में स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की अवसंरचना की गुणवत्ता और संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) को प्राथमिकता देकर जेजेएम के तहत शेष कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

*****